न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अदराराम पुत्र जवाराजी जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।		पारसमल पुत्र जवाराजी जाति माली, निवासी भीनमाल, जिला जालोर।

अवमानना प्रार्थना पत्र धारा 39 नियम 2

उपस्थित :–
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29/03/2019

अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की ओर से यह प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध धारा 39 नियम 2 के तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा हाजा न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 08/11 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.04.2011 की अवहेलना किये जाने के संबध में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध प्रकरण गुणवागुण पर निर्णित किया जाता है।

वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अदराराम द्वारा मौजा भीनामल के खसरा नंबर 4177, 4180, 4187, 4188, 4196, 4175, 4176, 4198, 4174/7112 व 4173 के संबध मे बंटवाडे का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर आदेश दिनांक 28.03.2011 द्वारा बंटवाडा करने व रेकर्ड में प्राथमिक डिक्री के अनुसार दर्ज करने के आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील संख्या 8/2011 बउनवान अदाराम बनाम किशोरमल वगैरा प्रस्तुत की गई। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2011 द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किया गया। जो आज दिनांक तक यथावत है। रेस्पोडेन्ट पारसमल द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी रहते हुए मौजा भीनमाल के वादग्रस्त खसरा नंबर 4188 रकबा 0.48 हैक्टर का हिस्सा गलत रूप से श्रीमती हेमलता पत्नी दिनेश कुमार जाति माली, निवासी भीनमाल को बेचान कर बेचान रजिस्टी में उक्त आराजी का कब्जा खरीददार श्रीमती हेमलता को करवाना उक्त बेचान रजिस्टी दिनांक 05.07.2013 में वर्णित किया है। उक्त बेचान रजिस्टी पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या 565 पृष्ठ संख्या– 110 क्रम संख्या– 2013004260 पर दिनांक 05.07.2013 को उपपंजीयन भीनमाल में पंजीबद्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद वादग्रस्त आराजी का बेचान कर हाजा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सिविल जेल से दण्डित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

अदराराम बनाम पारसमल

07/2013

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अदराराम द्वारा मौजा भीनामल के खसरा नंबर 4177, 4180, 4187, 4188, 4196, 4175, 4176, 4198, 4174/7112 व 4173 के संबध मे बंटवाडे का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर आदेश दिनांक 28.03. 2011 द्वारा बंटवाडा करने व रेकर्ड में प्राथमिक डिक्री के अनुसार दर्ज करने के आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील संख्या 8/2011 बउनवान अदाराम बनाम किशोरमल वगैरा प्रस्तुत की गई। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04. 2011 द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2011 को अपील में वर्णित खसरान् के संबध में स्थगन आदेश पारित कर राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। जो कि दिनांक 16.12.2013 तक यथावत जारी है। जिस संबध में अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 8/11 की दिनांक 17.09.2013 तक की फोटो प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट पारसमल उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट पक्षकार के तौर पर विधमान है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट का हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पूर्णतया ज्ञान था। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी रहते हुए मौजा भीनमाल के वादग्रस्त खसरा नंबर 4188 रकबा 0.48 हैक्टर का श्रीमती हेमलता पत्नी दिनेश कुमार जाति माली, निवासी भीनमाल को बेचान किया गया है। उक्त बेचान रजिस्टी पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या 565 पृष्ठ संख्या– 110 क्रम संख्या– 2013004260 पर दिनांक 05.07.2013 को उपपंजीयन भीनमाल में पंजीबद्ध है। जो कि हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश की पूर्णतया अवहेलना की श्रेणी में आता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4188 रकबा 0.48 हैक्टर का श्रीमती हेमलता पत्नी दिनेश कुमार जाति माली, निवासी भीनमाल को किये गये बेचान की हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश 01.04.2011 के समय की रेकर्ड की पूर्व स्थिति को बहाल किया जाता है। एवं रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नरम रूख अपनाते हुए हिदायत दी जाती है कि वह भविष्य में न्यायालय के आदेशो की अवहेलना न करे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली